राजस्थान सरकार
कार्मिक विभाग
(क-2)

क्रमांक:-एफ 15(1)कार्मिक/क-2/75 जयपुर, दिनांक 4 जनवरी, 96

आज्ञा

विषय:- अधिवार्षिकी आयु प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा में वृद्धि एवं पुनर्नियुक्ति ।

इस विभाग की समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अप्रेल, 1978 (प्रति संलग्न) द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनहित में किसी अधिकारी/कर्मचारी को मंत्रीमण्डल की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् उसकी अधिवार्षिकी आयु के बाद सेवा में वृद्धि कर अथवा पुनर्नियुक्ति कर रखा जा सकेगा । उक्त आदेश राज्य के विभिन्न उपक्रमों, कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं इत्यादि में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामलों पर भी समान रूप से लागू होने संबंधी स्पष्टीकरण इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 6.10.78 द्वारा जारी किया गया ।

सेवा वृद्धि एवं पुनर्नियुक्ति के मामलों पर विचार करने के लिए इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.2.76 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा

कुछ मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित की थी लेकिन इस विभाग के ध्यान में आया है कि प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्षों द्वारा उक्त प्रक्रिया की पालना नहीं की जा रही है और सेवा वृद्धि या पुनर्नियुक्ति के मामले इस विभाग को सहमति हेतु दस्तूरी रूप में भेजे जा रहे हैं । मंत्रीमण्डल की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा में वृद्धि एवं पुनर्नियुक्ति कर दी जाती है । राज्य सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है ।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों का ध्यान पुनः इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.2.76 की ओर आकर्षितकर व्यादिष्ठ किया जाता है कि सेवा वृद्धि या पुनर्नियुक्ति के मामलों को विद्यमान निर्देशों के अनुरूप परीक्षण करने के पश्चात् ही इस विभाग की सहमति हेतु भेजने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

4/11/86

(सूरजमल केड़वाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री ।
2. निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री/मुख्य सचिव ।
3. समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवें/उप शासन सचिव ।
4. सचिवालय के समस्त विभाग/गुप/प्रकोष्ठ ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स सहित ।

4/11/86

उप शासन सचिव